पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-57/2024 दिनांक- 17.02.2024

प्रेस- नोट

थाना- रानी की सराय

अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनाँक 17.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी के लडके को अभियुक्त मुहम्मद जायद पुत्र अबू राहिज निवासी ग्रा0 आवक थाना रानी की सराय आजमगढ़ ने कमरे में बन्द कर उसके साथ जबरजस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 48/24 धारा 342/377 भादवि व 5 एम/6 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम मुहम्मद जायद पुत्र अबू राहिज निवासी ग्रा0 आवक थाना रानी की सराय आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 17.02.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद जायद पुत्र अबू राहिज निवासी ग्रा0 आवक थाना रानी की सराय आजमगढ़ को मोलनापुर फार्म हाउस से समय करीब 12.35 बजे कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 48/24 धारा 342/377 भादवि व 5एम/6 पास्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रानी की सराय।

गिरफ्तार अभियुक्त - मुहम्मद जायद पुत्र अबू राहिज निवासी ग्रा0 आवक थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार यादव, का0 सुनील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

हर्ष फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार; असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना– वादी मुकदमा छेदी यादव पुत्र स्व0 झगरू यादव निवासी ग्राम हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 14.02.2024 को मेरे लडके शिवशंकर यादव के बहुभोज मे संजय सिंह पुत्र स्व0 सूबेदार सिंह व सुरेश सिंह पुत्र स्व0 सनल सिंह आमंत्रित थे। दोनों लोगों में किसी बात को लेकर मार पीट व गाली गलौज करने लगे व एक दूसरे से जान से मारने की धमकी देने लगे। तथा संजय सिंह अपने घर से राइफल लेकर आये और पु कार्यक्रम स्थल पर हवा में एक राउन्ड फायर कर दिये जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 96/24 धारा 323/504/506 भादवि0 व 25(9) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक दिनांक 17.02.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुबेदार सिंह निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 53 वर्ष को उसके घर मोहल्ला हीरापट्टी से समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 रायफल, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता- संजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुबेदार सिंह निवासी हिरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ उम्र 53 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 323/504/506/336 भादवि व 3/25/25(9) आयुध अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़।

बरामदगी- 01 राइफल, 01खोखा कारतूस 315 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 अनुपम जायसवाल, हे0का0 विनीत कुमार दूबे, का0 पंकज कुमार सिंह, का0 घनश्याम यादव, कां0 आशीष यादव थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना- रौनापार

आवेदक/ पीड़ित के खाते से फ्राड़ के माध्यम से ट्रान्सफर हुए कुल 30,000/- रूपया वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः- दिनांक 03.10.2023, 04.10.2023 व 05.10.2023 को क्रमशः आवेदक रामसेवक यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्राम सुखऊपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के खाते से 10,000 - 10,000/- रूपये करके साईबर फ्राड कर कुल 30,000/- रूपया काट लिया गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 05.10.2023 को थाना स्थानीय के साईबर डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव द्वारा साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर फोन कर कम्पलेन्ट नं0- 33110230143189 दर्ज कराकर पीड़िता का पैसा होल्ड कराया गया व विधिक कार्यवाही करते/ कराते हुए थाना स्थानीय के साईबर टीम द्वारा आवेदक का पैसा वापस कराया गया।

रूपया वापसी का विवरणः- आवेदक श्री रामसेवक यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्राम सुखऊपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य के निर्देशन में साईबर टीम थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा स्टेट बैंक बेलकुण्डा व साइबर सेल की मदद से आवेदक श्री रामसेवक यादव उपरोक्त के खाते में कुल 30,000/- रूपया वापस कराया गया है। आवेदक अपना साईबर फ्रॉड के माध्यम से कटा हुआ रूपया वापस पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार, आजमगढ़।

कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव थाना रौनापार, आजमगढ़।

का0मु0 रत्नेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

का09 मनीष कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।